

24.09.2025:-पत्रावली आज पेशी में ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी वकील मूल वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी हो गया। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। इसलिए अस्थाई निशेषाज्ञा को वर्तमान स्तर पर निरस्त विद्वा किया जाकर उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

*Alan*  
सहायक कलेक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़